न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 168/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/65**
दायर दिनांक :– 08.11.2023 **निर्णय दिनांक :– 22.10.2024**

1. हवादेवी पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी हॉल निवासी 8 एम.एल.डी. तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नंबर 1305 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9470 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि मौजा घटोर वर्तमान नवसृजित ग्राम महादेवपुरा पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। जमाबंदी संवत् 2078–2081 संलग्न वाद पेश है कि वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्व विकय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादिनी घर परिवार में बोलता नाम हवाड़ी पुत्री देवाराम टंकित किया हुआ है और उक्त विकय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज है लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक नाम हवादेवी पुत्री देवाराम पत्नी मूलाराम है इसी नाम से वादिनी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बने हुवे है और घर परिवार व गांव में भी वादिनी को वर्तमान में हवादेवी पत्नी मूलाराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादिनी का पूर्वानुसार हवाड़ी पुत्री देवाराम ही दर्ज है। इसलिये वादिनी को अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में विकास कार्य या कृषि संबंधित अन्य कार्य करने में वादिनी का नाम जमाबंदी में हवाड़ी पुत्री देवाराम [illegible] सामना करना पड़ता है। इसलिये वादिनी का नाम हवाड़ी पुत्र देवाराम के स्थान [illegible] सही [illegible] वास्तविक दस्तावेजी नाम हवादेवी पत्नी मूलाराम के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा [illegible] की अधिकारिणी है। जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:31 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.)

22.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1305 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9470 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि जरिये विक्रय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी। जिसके आधार पर वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भरा जाकर माफिक विक्रय पत्र अनुसार स्वीकृत हुआ, जिसमें वादनी का नाम माफिक विक्रय पत्र अनुसार हवाड़ी पुत्री देवाराम दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। वाद के साथ पेश पहचान संबंधित दस्तावेजों में वादिनी का नाम हवादेवी पुत्री देवाराम पत्नी मूलाराम है। वादिनी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर वादिनी का नाम गुणावगुण पर सही किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1305 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9470 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.1655 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व रेकर्ड में माफिक विक्रय पत्र अनुसार हवाड़ी पुत्री देवाराम दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम हवादेवी पुत्री देवाराम पत्नी मूलाराम है। वादिनी ने अपने वाद को को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1305 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9470 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम हवाड़ी पुत्री देवाराम के स्थान पर हवादेवी पुत्री देवाराम पत्नी मूलाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:31 IST
Reason: SelfAttested

22.10.24
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. हवादेवी पत्नी मूलाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी हॉल निवासी 8 एम.एल.डी. तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 168/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का घटोर तहसील बाप जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 1305 रकबा 1.9830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.9470 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.1655 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम हवाड़ी पुत्री देवाराम के स्थान पर हवादेवी पुत्री देवाराम पत्नी मूलाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.10.2024 को जारी की गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

22.10.24

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जारी [illegible] लिया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:19:31 IST
Reason: SelfAttested